जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 05.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B भादवि में वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम को द्वारा मुखबिर सूचना मिली । प्राप्त सूचना के आधार पर बिजनौर – झालू रोड पर फाटक से पहले रजवाहे के पास थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग प्रारम्भ की गयी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल को नही रोका गया तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग हुए कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश के पैर में गोली लगी तथा उक्त बदमाश को घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया । पूछताछ पर बदमाश द्वारा अपना नाम अजीज पुत्र इम्तियाज निवासी मौ0 पडियान मन्दिर वाली गली मेवगढी थाना लिसाढी गेट जनपद मेरठ बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर व 02 जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से 04 खोखा कारतूस एवं स्पलेन्डर मोटरसाइकिल बरामद की गयी। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, बिजनौर में भर्ती कराया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B भादवि में वांछित है। थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग का अनावरण करते हुए षडयंत्र रचने वाले 08 अभियुक्तगण 1.वसीम 2.अतुल चौधरी 3.नईमुद्दीन 4.शुभम चौधरी 5.अरनव तोमर 6.हसीन 7.फैजान व 8.सालिक को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ विवरण –

विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्त अजीज ने बताया कि मुझे व एक अन्य शूटर को सालिक ने जनपद बिजनौर के प्रॉपर्टी डीलर सुशील की हत्या करने के लिये बुलाया था और इस काम के लिये 2.5 लाख रुपये दिलवाये थे। योजनानुसार दिनांक 29.05.2024 को मेरे व मेरे अन्य साथी शूटर द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। अब मेरा व मेरे साथी शूटर का जनपद बिजनौर में ही दो अन्य लोगों की हत्या करने का भी प्लान था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजीज पुत्र इम्तियाज निवासी मौ0 पडियान मन्दिर वाली गली मेवगढी थाना लिसाढी गेट जनपद मेरठ

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर, 02 जिंदा व 04 खोखा कारतूस

स्पलेन्डर मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना कोतवाली शहर पुलिस

स्वाट / सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन   दिनॉक 05.06.2024

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा पृथ्वी को हरा-भरा रखने, प्रदूषण मुक्त व सुरक्षित जीवन हेतु वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

वामा सारथी, उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज दिनांक 05.06.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा पृथ्वी को हरा-भरा रखने, प्रदूषण मुक्त व सुरक्षित जीवन हेतु वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, नगर सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 05.06.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 411 भादवि व धारा 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2017 को थाना धामपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ0 बंदूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 164/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 165/17 धारा 411/413/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.06.2024 को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-II) जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 164/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 165/17 धारा 411 भादवि में अभियुक्त इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ0 बंदूकचियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास व 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ0 बंदुकचियान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली **दिनांक - 05-06-2024**

थाना मंडावली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0-91/2024 धारा 380/457/411 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.06.2024 को वादी श्री बाबूराम गुप्ता पुत्र श्री लल्लू सिंह गुप्ता निवासी ग्राम बसंता उर्फ कांठपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अरबाज पुत्र इकबाल 2. शाकिब पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादी की दुकान से एक हथौडा, एक लोहे काटने का हैक्सा, एक आरी, ब्लेड तथा गल्ले से 2500/- रूपये चोरी कर लिये है । तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 91/24 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 05-06-2024 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0-91/24 धारा 380/457 भादवि में वांछित अभियुक्तों 1. अरबाज पुत्र इकबाल 2. शाकिब पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को चोरी किये गये एक हथौडा, एक लोहे काटने का हैक्सा, एक आरी, ब्लेड व 2150/- रूपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अरबाज पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2. शाकिब पुत्र यासीन नि0गण ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

एक हथौडा, एक लोहे काटने का हैक्सा,एक आरी, एक ब्लेड व 2150/- रूपये नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 ललित मोहन शर्मा थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
2. का0 349 जयबीर सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3. का0 1380 इमरान खाँ थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 05.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का खुलासा 04 अभियुक्तों को चोरी किये गये आभूषण व सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.06.2024 को वादिनी शादमा पत्नी अकरम निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 28/29.05.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.मौ0 साकिब पुत्र शाहिद निवासी मौ0 गुलजारनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.सलमान पुत्र मकसूद निवासी मौ0 कचहरी सराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व उनके साथी अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादिनी के घर में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.अखलाक उर्फ अक्की पुत्र मौ0 शाकिर नि0 मौ0 जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.शहबाज पुत्र साबिर नि0 मौ0 भुड्डी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर 3.थामीर पुत्र महमूद नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4.एहतेशाम पुत्र मुस्तकीम नि0 मौ0 गुलजारनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

दिनांक 13.01.2024 को अभियुक्तगण द्वारा थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम वंश गोपाल में घर से ताला तोडकर सोने–चांदी के आभूषण व सामान आदि चोरी की गयी थी। जिस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 19/24 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्तगण 1.अखलाक उर्फ अक्की पुत्र मौ0 शाकिर नि0 मौ0 जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.सलमान पुत्र मकसूद निवासी मौ0 कचहरी सराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3.मौ0 साकिब पुत्र शाहिद निवासी मौ0 गुलजारनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4.शहबाज पुत्र साबिर नि0 मौ0 भुड्डी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से

उपरोक्त दोनों अभियोग से संबंधित चोरी किये आभूषण व सामान आदि बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियोगो में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अखलाक उर्फ अक्की पुत्र मौ0 शाकिर नि0 मौ0 जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2.सलमान पुत्र मकसूद निवासी मौ0 कचहरी सराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर।
3.मौ0 साकिब पुत्र शाहिद निवासी मौ0 गुलजारनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.शहबाज पुत्र साबिर नि0 मौ0 भुड्डी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– 02 जोडी पाजेब सफेद धातु, 02 जोडी बिछुए सफेद धातु, 02 जोडी पचांगले सफेद धातु, 04 कंगन सफेद धातु, 01 माथे का टीका सफेद धातु, 02 जोडी बुन्दे पीली धातु, 02 मंगलसूत्र के टूटे हुए लोकेट पीली धातु के **(मु0अ0सं0 286/24 उपरोक्त से संबंधित)**

2– 03 अंगुठी पीली धातु, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, 01 गैस सिलेण्डर एच0पी0 कम्पनी, 01 कटोरी व चम्मच सफेद धातु **(मु0अ0सं0 19/24 उपरोक्त से संबंधित)**

आपराधिक इतिहास–

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अखलाक उपरोक्त–

1–मु0अ0सं0 286/24 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 19/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान उपरोक्त–

1–मु0अ0सं0 286/24 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 645/23 धारा 308/323 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3–मु0अ0सं0 19/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 साकिब उपरोक्त–

1–मु0अ0सं0 286/24 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 19/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहबाज उपरोक्त–

1–मु0अ0स–36/2018 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2–मु0अ0स0 124/2020 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3–मु0अ0स0 128/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4–मु0अ0स0 210/2020 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
5–मु0अ0स0–286/2024 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6–मु0अ0सं0 19/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–मुख्य आरक्षी पीयूष खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3– मुख्य आरक्षी विपिन चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4–आरक्षी 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5–आरक्षी 1124 नितिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
6–आरक्षी 962 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 05.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 06 बने – अधबने अवैध शस्त्र, 03 छोटी – बडी नाल व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत अवैध शस्त्रों के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर समीपुर फाटक से बाईपास रोड पर बन्द पडे मकान में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे 03 अभियुक्तगण 1.लोकेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.अंकित पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3.नीटू पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर उर्फ बाजोपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से 06 बने – अधबने अवैध शस्त्र, 03 छोटी – बडी नाल एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये । इस सम्बंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 288/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम लोकेश आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.लोकेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.अंकित पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.नीटू पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर उर्फ बाजोपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

03 तमंचे 12 बोर
03 अधबने तमंचे 315 बोर व छोटी बडी 03 नाल 315 बोर
01 ड्रिल मशीन, 01 वाइस लोहा, 03 रेती, 02 निहान, 01 पथरी धार लगाने वाली, 01 निहाई लोहा, 01 आरी लोहा, 01 हथौडा, 01 हथौडी, 01 प्लास, 01 इलैक्ट्रिक ग्लेंडर मशीन, 10 ग्लेंडर मशीन के ब्लेड, 01 वसूला लकडी छीलने वाला, 01 ड्रिल मशीन, छोटे – बडे 02 पेंचकस, 01 नोक प्लास, 01 जम्बूर लोहा, 03 ड्रिल मशीन के बर्मे, 01 छोटी वेल्डिंग मशीन, बिजली का केबिल लगभग 50 मीटर, 01 बिजली का बोर्ड आदि

अभियुक्त लोकेश आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 395/2010 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 288/2024 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.उ0नि0(प्रशिक्षु) श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.कां0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5.कां0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6.कां0 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

7.कां0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना शिवालाकलां दिनॉक 05.06.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 53/24 धारा 324/504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री जौनी कुमार पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र सुखराम सिंह ने वादी के पिता के साथ गाली गलौच की तथा जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार किया जिससे वह घायल हो गये। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 324/504/307 भादवि बनाम दिनेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.06.2024 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 53/24 धारा 324/504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त दिनेश पुत्र सुखराम निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.दिनेश पुत्र सुखराम नि0 ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 प्रवीण मलिक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 425 सचिन तोमर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1033 सचिन कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 05.06.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 259/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.06.2024 को वादी श्री अवधेश प्रताप सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी ग्राम मटौरा दुर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ परवेन्द्र पुत्र सहदेव सैनी निवासी ग्राम मुस्सेपुर पाली थाना नहटौर जनपद बिजनौर को ग्राम मटौरा दुर्गा में धार्मिक स्थल के बाहर लगे दान पात्र को तोडकर पैसे चोरी करते हुये पकड लिया तथा थाना धामपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 259/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र सहदेव सैनी निवासी ग्राम मुस्सेपुर पाली थाना नहटौर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी 1060 रूपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.सलमान पुत्र शहजाद निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1. 1060 रूपये नगदी

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 05.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 453/24 धारा 302/120-B भादवि में वांछित दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2024 को श्री सुशील चौधरी निवासी मन्नुपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 453/24 धारा 302 भादवि बनाम दो व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए षडयंत्र रचने वाले 05 अभियुक्तगण 1.वसीम 2.अतुल चौधरी 3.नईमुद्दीन 4.शुभम चौधरी 5.अरनव तोमर को गिरफ्तार किया गया व दिनांक 03.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हसीन पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 120-B भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 04.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.फैजान पुत्र अनवार निवासी लकीपुरा लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ व 2. सालिक पुत्र तारिक निवासी बनीयापाडा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ को घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त फैजान ने बताया कि मेरा बिजनौर – नूरपुर रोड पर मेरठ की चुंगी के पास होटल है। मेरे होटल पर मेरे मामा हसीन पुत्र नफीस व उसके साथियो का मृतक सुशील कुमार से प्रोपर्टी के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सुशील कुमार के होटल से चले जाने के बाद मेरे मामा हसीन व उसके साथियों ने मुझसे कहा कि सुशील कुमार की हत्या करने की व्यवस्था करवाओं। मैने उनको बताया कि मेरठ का ही रहने वाला मेरा दोस्त सालिक है जो पैसे लेकर हत्या करने वाले शूटरों को जानता है। हम सबने योजना बनाकर मेरठ से शूटरो को बुलवाया और 2.5 लाख रुपये एकत्रित करके दे दिये थे। योजनानुसार दिनांक 29.05.2024 को शूटर द्वारा अपने साथी शूटर के साथ मिलकर सेन्ट मेरी चौराहे से आगे आरसी व श्री हॉस्पिटल के सामने बिजनौर – नजीबाबाद रोड पर राकेश के खोखे के पास सुशील कुमार को गोली मार दी, जिससे सुशील कुमार की मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.फैजान पुत्र अनवार निवासी लकीपुरा लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2.सालिक पुत्र तारिक निवासी बनीयापाडा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी विवरणः-

घटना में प्रयुक्त स्कूटी।

आपराधिक इतिहास फैजान पुत्र अनवार निवासी लकीपुरा लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 1139/23 धारा 323/504/505 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 242/2022 धारा 307/34/504/506 भादवि थाना लिसाडी गेट मेरठ।
3. मु0अ0सं0 453/2024 धारा 302/120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर।

आपराधिक इतिहास सालिक पुत्र तारिक नि0 बनीयापाडा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 154/2022 धारा 147/148/149/307/506 भादवि थाना कोतवाली मेरठ।
2. मु0अ0सं0 164/2022 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली मेरठ।
3. मु0अ0सं0 453/2024 धारा 302/120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

2.व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 राजीव कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 मीर हसन थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 590 प्रशान्त कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

6.का0 1643 अक्षय कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

7. हे0का0 चालक 452 विनित कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।